

23/11/23

वकील पत्रकारों को अपील करने पर  
अवकाश/पुनरा/जमानत/वैधानिक कार्य में प्रस्ताव  
है। पत्रकारों दिनांक 16/11/23 को पेश हो।

23/11/23 वकूलान करीकत इफ्तखार वाही  
देत इतिहास मयहक इफ्तखार  
पत्रकारों दिनांक 16/11/23 को पेश हो

16/11/23

वकूलान करीकत इफ्तखार वाही  
कोस किफ जाते है वकील अतिपादगी  
बालक पेश कना कधी चाहते है साफ  
अतिपादगी कोस किफ जाते है पत्रकारों  
वाही अहक दिनांक 23/11/23 को पेश हो

23/11/23

वकील पत्रकारों अपील करने पर वकील  
इफ्तखार अहक कना कधी चाहते है  
पत्रकारों का अवकाश किफा प्रकृत  
में दिनांक 23/11/23 को तमकीला  
काम की गई थी। साफ वाही एवं साफ अतिपादगी  
कीने कोस घे चुके है/वाही मी कोस की गई  
साफ पेश कधी किफा गला इत ही अतिपादगी  
अत्र साफ प्रस्ताव किफ जाते है लिखना वा  
वाही अहक साफ (साफ प्रभाव में) अतिपादगी  
किफा जाता है पत्रकारों के अहक में साफ  
दीक साफ अहक ही पत्रकारों कीने जाते  
ही अहक मुकाम गला

Handwritten signature and initials.



11-1-2023

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)  
परिशिष्ट घ संख्यांक-1  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर  
पीठासीन अधिकारी : गुंजन सिंह आई.ए.एस

प्र.सं. 140/2018

जीसीएमएस : 2018/00480

निर्मल सिंह बनाम मैलो उर्फ परमजीत कौर आदि  
अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक:-23.01.2023

वाद के आज श्री परविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादी, श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3,7 व श्री महेन्द्र कुमार चांवरिया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,2,4,5 की उपस्थिति में आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि -

वाद पत्र वादी अदम साक्ष्य(साक्ष्य अभाव में) खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(गुंजन सिंह)  
आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	